न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—42/2018/223 (2018/00042)

1. कालू पुत्र अमरा, जाति माली, निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र स्व0 किशना,
2. गैनीराम पुत्र स्व0 किशना,
3. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री स्व0 किशना,
4. श्रीमती नाथी पत्नि स्व0 छोटूराम,
5. गोपालराम पुत्र स्व0 छोटूराम,
6. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री छोटूराम,
7. शिवकुमार पुत्र स्व0 छोटूराम,
8. रामलाल पुत्र स्व0 छोटूराम,
9. निर्मल कुमार पुत्र स्व0 छोटूराम,
10. मनोहर पुत्र स्व0 छोटूराम,
11. श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 छोटूराम,
    समस्त जाति माली, निवासी ग्राम चावण्डिया, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर दिनांक 13.12.2017 अंतर्गत वाद संख्या 19/2016 (07/2016).

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट।
2. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10.
3. रेस्पो0 संख्या 11 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12.

निर्णय

दिनांकः— 31.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद विरूद्ध अपीलांट एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 12 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चावण्डिया, तहसील पुष्कर अवस्थित मिन वर्णित वर्किंग खसरा नंबर 110 रकबा 4—14—00 बीघा आधार खसरा नंबर 67 रकबा 0.13 है0, आराजी खसरा नंबर 68 रकबा 0.14 है0, आराजी खसरा नंबर 69 रकबा 0.29

है0, खसरा नंबर 70 रकबा 0.20 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1013 रकबा 3–9–00, खसरा नंबर 1246 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 1247 रकबा 0.42 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1010 रकबा 3–10–10 खसरा नुंबर 1244 रकबा 0.57 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1014 रकबा 00–02–00 के खसरा नंबर 1245 रकबा 0.02 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1015 रकबा 4–5–10 के खसरा नंबर 1247 मिन रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 1248 मिन रकबा 0.20 है0, खसर नंबर 1257 रकबा 0.39 है0, खसरा नंबर 1258 रकबा 0.11 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1023 रकबा 3–19–00 बीघा के खसरा नंबर 1264 मिन रकबा 0.64 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1031 रकबा 00–08–00 बीघा के खसरा नंबर 1261 रकबा 0.06 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1050 रकबा 1–15–00 के खसरा नंबर 1273 मिन रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 1271/1380 रकबा 0.05 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1052 रकबा 2–7–00 के खसरा नंबर 1273 मिन रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 1274 रकबा 0.27 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1063 रकबा 1–2–00 के खसरा नंबर 1294 रकबा 0.18 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1064 रकबा 00–19–00 के खसरा नंबर 1295 रकबा 0.15 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1065 रकबा 00–15–10 के खसरा नंबर 1296 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1298 रकबा 0.08 है0, वर्किंग खसरा नंबर 1067 रकबा 00–17–00 के खसरा नंबर 1294/1299 रकबा 0.14 है0 भूमियां अवस्थित है । निम्न वर्णित भूमियों के मूल खातेदार वादीगण के पूर्वज किशना पुत्र चतरा, जाति माली वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार खातेदारी में दर्ज आई है । जो भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अमरा पुत्र मंगा के मध्य विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर प्रकरण संख्या 810/71 दिनांक 30.11.1971 की पालना में अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर के आदेश दिनांक 10.5.1973 व 27.5.1973 की पालना में उक्त वर्णित भूमियां वादीगण के पूर्वज श्री किशन पुत्र चतरा की खातेदारी में दर्ज की गई । इसके अतिरिक्त वर्किंग खसरा नंबर 1031 रकबा 00–8–00 बीघा व खसरा नंबर 825 रकबा 00–03–10 बीघा भूमि में 1/2 हि0 अमरा पुत्र मंगा के नाम खातेदारी दर्ज होकर रहन रहा । जिस रहन मुक्ति का नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 5.11.1977 को अमरा पुत्र मंगा के नाम 1/2 हि0 दर्ज किया गया तथा अमरा पुत्र मंगा के स्वर्गवास के बाद उक्त वर्णित 1/2 हिस्सा जरिये वरिासत नामांतकरण संख्या 286 दिनांक 19.7.1985 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ । परन्तु भू–प्रबंध विभाग की कार्यवाही पश्चात् प्रमाणित मिलान क्षैत्रफल के अनुसार विवादित भूमियों के नवीन खसरा नंबर कायम कर जमाबंदी संवत् 2065 से 2084 के खाता संख्या 38 की संपूर्ण भूमियों में गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज कारित कर 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 5.11.1977 के अनुसार केवल खसरा नंबर 825 व 101 की सीमा तक ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा अंकित किया जाना चाहिये था । इस प्रकार गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादीगण की पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त की भूमियों से हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2017 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवानी वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन रहते पेशी दिनांक 28.4.2017 के बाद प्रतिवादी एवं उसके अभिभाषक को प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 30.6.2017 कॉजलिस्ट में नियत कर दी थी, किन्तु तत्कालीन रीडर ने प्रतिवादी अभिभाषक को बिना सूचित किये नियत तारीख पेशी में कांट–छांट कर कॉजलिस्ट में आगामी पेशी दिनांक 19.5.2017 नियत कर दी । तत्पश्चात् दिनांक 30.6.2017 को सूचित किये पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.8.2017 नियत कर दी तथा दिनांक 25.8.2017 को मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल होने से तारीख पेशी नहीं दी गई, तथा बाद में जानकारी करने हेतु कहा । हड़ताल समाप्त होने पर पत्रावली के बारे में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि पूर्व रीडर ने षड़यंत्रपूर्वक प्रतिवादी अभिभाषक को गलत तारीख बताकर प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करवा दिये थे । इस बाबत् प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2017 को पेश किया था। अधी0न्याया0 की उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्व अभिलेख से यह सिद्ध था कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/2 हिस्सा था किन्तु अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री एकतरफा में दिनांक 13.12.2017 को पारित कर दी जबकि प्रतिवादी अभिभाषक को मौखिक रूप से बताया गया था कि पत्रावली विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष है, जो प्राप्त होने पर अवगत करा दिया जावेगा इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को अंधेरे में रखकर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा एकतरफा कार्यवाही के प्रार्थना पत्र को अधी0न्याया0 ने निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण ने अपने वादपत्र में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के मध्य विभाजन होकर वादीगण के पूर्वज को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अमरा ने बैचान कर दी किन्तु राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 11.9.1977 एवं नामांतकरण संख्या 286 दिनांक 19.7.1985 के द्वारा प्रतिवादी के नाम गलत इंद्राज कर दी गई, किया गया कथन कतई गलत है क्योंकि उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजिहयात है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है, वर्किंग जमाबंदी के इंद्राज सही है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री किस दस्तावेज के आधार पर पारित की है यह स्पष्ट नहीं है । वादीगण ने वादग्रस्त आरायिजात प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा बेचान करने का कथन किया है किन्तु यह नहीं बताया कि किस–किस आराजी संख्या का एवं किस दस्तावेज से कब बेचान किया है । बहस में आगे कथन किया कि वादीगण ने प्रकरण संख्या 870/71 बाबत् गलत कथन किया है क्योंकि उक्त प्रकरण से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं है । वादीगण व उनके पूर्वजों के नाम कभी भी संपूर्ण आराजियात दर्ज नहीं रही है जिसकी पुष्टि चौसाला

जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के कॉल्म संख्या 5 के इंद्राज से होती है जिसमें छगना व किशना पिसरान चतरा बहिस्सा बराबर 1/2 हि0 अमरा वल्द मंगा 1/2 हिस्सा कौम माली गोत सतरावलिया साकिनदेह अंकित है जिसमें किसी प्रकार की दुरूस्त की आवयकता नहीं है । वादीगण ने किशन पुत्र चतरा के विरासती नामांतकरण संख्या 307 दिनांक 20.4.2007 को आधार बनाकर संपूर्ण आराजियात का खातेदार होना अंकित किया है जो कि गलत कथन है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अमरा वल्द मंगा 1/2 हि0 कौम माली गोत सतवालिया साकिनदेह का राजस्व अभिलेख में दौराने वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 तैयार की तब राजस्व एजेन्सी द्वारा प्रतिवादी के पूर्वज अमरा वल्द मंगा का इंद्राज कॉलम संख्या 4 में अंकित होने से रह गया था, जो अमरा वल्द मंगा का स्वर्गवास होने से उसकी विरासती नामांतकरण संख्या 286 दिनांक 19.7.1985 का इंद्राज वर्किंग जमाबंदी में नायब तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू0अ0/94/334 दिनांक 9.5.1994 की पालना में अमरा पुत्र मंगा की विरासत दर्ज की गई है जो सही है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस एवं बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा संपूर्ण अपील के के तहत जिस पर एवं जिस उद्देश्य से पीठासीन अधिकारी एवं रीडर के विरूद्ध आरोप–प्रत्योरोपण उल्लेखित उल्लेखित किये है, पूर्णतः दस्तावेजी साक्ष्य एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से अस्वीकार है । अपीलांट ने एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किये जाने का उल्लेख किया है, जबकि प्रथम अपील के तहत विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में एक पक्षीय कार्यवाही के संबंध में अपीलांट को आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी किन्तु अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष चाराजोही नहीं की गई है इसलिये अपीलांट अब अपीलीय न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही का ऐतराज नहीं उठा सकते है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट/प्रतिवादी की ओर से उनके अभिभाषक ने अधी0न्याया0 में दिनांक 30.3.2016 को अभिभाषक पत्र पेश किया था तत्पश्चात् विद्वान जिलाधीश, अजमेर के आदेश दिनांक 5.9.2016 की पालना में प्रकरण की पत्रावली को आदेशिका दिनांक 14.9.2016 के तहत उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को स्थानातंरित की जाकर आगामी पेशी दिनांक 19.9.2016 नियत की गई । दिनांक 19.9.2016 की पेशी पर अपीलांट द्वज्ञरा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 23.11.2016 नियत की गई थी। इस प्रकार अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता को विधिवत् रूप से संपूर्ण प्रकरण की कार्यवाहियों एवं पेशियों की जानकारी रही है तथा प्रकरण की सुनवाई एवं आदेशिकाओं में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होकर निरन्तर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई है । नियत पेशी दिनांक 28.4.2017 को आगामी पेशी दिनांक 19.5.2017 नियत की गई किन्तु उक्त तिथि को अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर भी एक अवसर प्रदान कर आगामी पेशी दिनांक 24.5.2017 नियत की गई । नियत पेशी दिनांक 24.5.2017 को भी अपीलांट/प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण पुनः न्यायहित में उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर पेशी दिनांक 31.5.2017 नियत की गई तथा दिनांक 31.5.2017 की पेशी को अपीलांट/प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । उक्त कार्यवाही से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि

अधी0न्याया0 द्वारा पूर्णतया साम्यता के अनुतोष को ध्यान में रखते हुए अपीलांट/प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता को न्यायाहित में 3 अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत् है । बहस में आगे कथन किया कि प्रकरण की पत्रावली अन्य पत्रावलियों के साथ नव गठित न्यायालय में स्थानातंरित होने तथा नवीन रूप से व्यवस्थित किये जाने के दौरान धारा 212 राज0काश्त0अधि0 की पत्रावली सहवन से अन्य पत्रावलियों में सम्मिलित हो जाने के कारण वाद पत्र की पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं है, जो कि एक मानवीय भूल है, इस कारण प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 10 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली को ढूंढवाई जाकर मूल वाद की पत्रावली के साथ प्रस्तुत किये जाने के लिये नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर कार्यवाही कर अस्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली को मूल वाद के साथ संधारण की गई, इस कारण वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र की आदेशिका में भिन्नता हुई है, जिसको अन्यथा आशय निकाल कर अपीलांट द्वारा दूसरे रूप में हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकट किया गया है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण/रेस्पो0 के पूर्वज किशना पुत्र चतरा, छगना पुत्र चतरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अमरा पुत्र मंगा के मध्य विधिक विभाजन आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर प्रकरण संख्या 870/71 दिनांक 23.11.1971 की पालना में अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर के आदेश दिनांक 2.5.1973 व 27.6.1973 के तहत तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अमरा पुत्र मंगा व छगना पुत्र चतरा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादीगण के पूर्वज किशना पुत्र चतरा के हक में विक्रय कर दिये जाने के आधार पर विधिवत् रूप से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संपूर्ण भूमियों की तन्हा खातेदारी किशना पुत्र चतरा, जाति माली के नाम अंकित की गई थी जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से भली–भांति सिद्ध होने से अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है । विवादित भमियों पर वादी/रेस्पो0 के पूर्वज किशना पुत्र चतरा अपने जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 307 दिनांक 20.4.2007 से आज दिवस तक वादी/रेस्पो0 काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व एजेन्सी ने वादी/रेस्पो0 को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय रूप से खसरा नंबर 1031 रकबा 8 बिस्वा बाबत् रहन का नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 11.9.1977 स्वीकार कर वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में इंद्राज कर दिया जबकि विधिक प्रावधानों के तहत कॉलम संख्या 4 में अंकित खातेदार से संबंधित ही नामांतकरण एवं इंद्राज परिवर्तन राजस्व एजेन्सी को किये जाने का अधिकार है । मूल खातेदार के हितों के विपरीत बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नवीन इंद्राज नही किया जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि राजस्व एजेन्सी द्वारा नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 11.9.1977 विधिविरूद्ध पारित किये जाने के उपरांत इससे भी परे जाकर विधिविरूद्ध एवं गैर कानूनी रूप से विरासत नामांतकरण संख्या 286 दिनांक 19.7.1985 में वादवर्णित भूमियों में 1/2 हिस्से बाबत् प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के नाम खातेदारी स्वीकृत कर इंद्राज कर दिया जबकि वादवर्णित आराजियात में किसी भी रूप में प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट का हक, अधिकार, वास्ता नहीं है । वादीगण को राजस्व एजेन्सी एवं भू–प्रबधं विभाग द्वारा कारित गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इद्रांज की जानकारी होने पर उनके द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 88/2015 गोपाल व अन्य बनाम राज0 सरकार उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 के तहत पेश किया जिसे आदेश दिनांक 12.

12.2015 द्वारा स्वीकार किया जाकर इंद्राज दुरूस्ती के आदेश दिये गये थे किन्तु प्रतिवादी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर आदेश दिनांक 12.12.2015 को आदेश दिनांक 31.12.2015 के तहत निरस्त करते हुए दोनों पक्षों के मध्य हक, अधिकार संबंधित विवाद होने के कारण नियमित वाद प्रस्तुत किये जाने के निर्देश पारित किये गये थे । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कायम तनकियात का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर पारित आदेशिका के अनुसार अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता दिनांक 30.3.2016 को उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा तत्पश्चात् पत्रावली जिलाधीश, अजमेर के आदेश दिनांक 5.9.2016 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को स्थानातंरित की जाकर दिनांक 19.9.2016 की पेशी नियत की गई । पेशी दिनांक 19.9.2016 को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 23.11.2016 नियत की गई । उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांटस को अधी0न्याया0 के समक्ष की गई कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी रही है तथा अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 28.4.2017 एवं 195. 2017 को भी अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण न्यायहित में आगामी पेशी दिनांक 31.5.2017 नियत की गई । इसके उपरांत भी अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नही हुए जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत वादीगण/रेस्पो0 की साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरांत विधिसम्मत् रूप से साक्ष्य व सुनवाई किये जाने के पश्चात् दिनांक 13.12.2017 को अंतिम निर्णय पारित किया गया । इस प्रकार अपीलांटस का मुख्य आधार कि दिनांक 25.8.2017 को मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल होने से पेशी नहीं दी गई विश्वसनीय नहीं है चूंकि उससे पूर्व ही निरन्तर अवसर दिये जाने के उपरांत अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा दिनांक 25.8.2017 से दिनांक 13.12.2017 के मध्य लगभग 4 माह की अवधि में अपीलांट द्वारा इस प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की तत्परता प्रकट की हो ऐसा भी पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता है । इस प्रकार अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के तहत पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2017 के संबंध में जो आधार लिये गये है वे विश्वसनीय नहीं होने से स्वीकार्य नहीं है । साथ ही गुणावगुण पर भी प्रकरण का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित है कि नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 11.9.1977 खसरा नंबर 1031 रकबा 8 बिस्वा के 1/2 हिस्से के संबंध में स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबदी संवत् 2041 में इंद्राज किया गया है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विधिवत् स्वीकृत नामांतकरण व दर्ज खातेदारी के विपरीत संपूर्ण खाते में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया गया है जिसे किसी भी रूप में विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । साथ पत्रावली पर उपलब्ध निर्णयों एवं तहसीलदार, पुष्कर की रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व एजेन्सी द्वारा विधिवत् स्वीकृत नामांतकरण के विपरीत वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर कानूनी एंव त्रुटिपूर्ण इंद्राज पारित होना स्वीकार किया है तथा संपूर्ण विवादित भूमियों पर वर्षो पूर्व से ही वादीगण/रेस्पो0 का कब्जा काश्त स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2017 में हमें

कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तनकियात का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नही है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2017 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर